RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 04 / 2026, GCMS NO:- 2026/29

अपीलांट–	बनाम	रेस्पोडेंट्स –
1. श्री देवाराम पुत्र कोलाराम 2. श्री दुर्गाराम पुत्र कोलाराम जातियान कुम्हार निवासीयान बिठुजा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		1. श्री हेमाराम पुत्र कोलाराम 2. श्री कुम्भाराम पुत्र कोलाराम 3. श्री जगाराम पुत्र कोलाराम जातियान कुम्हार प्रजापति, निवासीयान बिठुजा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 3. श्री तहसीलदार, पचपदरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक / राजस्व / 2013 / 03 दिनांक 22.01.2013 के दौरान तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री चेलाराम कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री वीरमाराम प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 3 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 4 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 29.04.2026

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक / राजस्व / 2013 / 03 दिनांक 22.01.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21.01.2026 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा बिठुजा, हल्का पटवारी बिठुजा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 331 रकबा 01.05 बीघा, खसरा संख्या 332 रकबा 59.12 बीघा एवं खसरा संख्या 565 रकबा 59.12 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.01.2013 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर

जिला कलक्टर
बालोतरा

पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन क्रमांक/राजस्व/2013/03 दिनांक 22.01.2013 पारित किया गया। अपीलांटगण ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.01.2026 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भुमि कि मौजा बिठुजा, हल्का पटवारी बिठुजा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 331 रकबा 01.05 बीघा, खसरा संख्या 332 रकबा 59.12 बीघा एवं खसरा संख्या 565 रकबा 59.12 बीघा में अवस्थित है। उक्त आलोच्य भूमि अपीलांटगण की संयुक्त खातेदारी की थी। जिसमें सभी का हिस्सा बराबर हिस्सा है। पक्षकारान अपने हिस्सानुसार अपने अपने बंट अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते है। पक्षकारान का पूर्व में मौखिक रूप से बाहमी बंटवारा किया हुआ है। इसी बंटवारा के अनुसार मौके पर काबिज है जिस पर पक्षकारान की ढाणीया, टांके चारा बाड़े इत्यादि बने हुए है। पक्षकारान के पूर्व में किये गये मौखिक बंटवारा के अनुसार मौके पर निर्विरोद्ध रूप से काश्त की जा रही है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि का समतल करके उपजाउ बनाया गया। अपीलाण्टगण का उपरोक्त अपीलाधिन आराजी में अपीलाण्टगण की रहवासी ढाणी एवं पानी रखने हेतू साधन बने हुए है अर्थात अपीलाण्टगण अपने हिस्सा की भूमि में रहवासीय मकान टांका आदि साधन बनाया गया है। अपीलाण्टगण समस्त प्रकार का लाभ शान्तिपूर्वक तरीके से उपयोग करता आ रहा है तथा अपीलाण्टगण अपने हिस्से की भूमि का समतल कर के उपजाउ बनाया गया तथा अपने बाहमी तौर अपने अपने हिस्सा के कब्जे काश्त की भूमि का भी हिस्से अनुसार मौके पर बंटवारा किया गया है। मौके पर पक्षकारान का हिस्सा स्थाई चिन्ह से चिन्हित न होने के कारण फसल बुआई के समय पक्षकारान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी। इस कारण पक्षकारान के द्वारा अपीलाधीन आराजी के बंटवारा करने का निर्णय लिया गया। सभी पक्षकारान हल्का पटवारी के पास जाकर मौके पर पूर्व में मौखिक बंटवारा के अनुसार काबिज अनुसार बंटवारा करने को कहा गया, तब हल्का पटवारी के द्वारा विभाजन प्रार्थना के खाली दस्तावेज पर पक्षकारान के हस्ताक्षर व अगुठे

जिला कलक्टर
बालोतरा

लिये गये तथा हल्का पटवारी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपके मौके पर काबिज अनुसार ही बंटवारा किया जायेगा। अपीलाण्टगण इस विश्वास पर रहे की मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा कर दिया जायेगा। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत तहसीलदार पचपदरा के विभाजन आदेश के आधार विभाजन किया गया। अपीलाधीन आराजी का बंटवाड़ा मौका पर जाकर तैयार नही किया गया। लोक अदालत कैम्प उसी दिन तहसीलदार पचपदरा के द्वारा जल्दबाजी में आकर लोक अदालत प्रशासन गांवो के संग में केवल मात्र खाना पूर्ति हेतु आनन फानन से स्वीकार कर दिया गया। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्टगण की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2013 को आशिंक निरस्त करने, अपीलाण्टगण व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 की आराजी का मौका व कब्जा काश्त के अनुसार पुनः बटवाड़ा करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड का आदेश प्रदान फरमावे।

5. रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता दौराने बहस यह कथन कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी भुमि मौजा कि मौजा बिठुजा, हल्का पटवारी बिठुजा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 331 रकबा 01.05 बीघा, खसरा संख्या 332 रकबा 59.12 बीघा एवं खसरा संख्या 565 रकबा 59.12 बीघा में अवस्थित है। उक्त आलोच्य भूमि अपीलांटगण की संयुक्त खातेदारी की थी। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत तहसीलदार पचपदरा के विभाजन आदेश के आधार विभाजन किया गया। अपीलाधिन आराजी का बंटवाड़ा मौका पर जाकर तैयार नही किया गया। लोक अदालत कैम्प उसी दिन तहसीलदार पचपदरा के द्वारा जल्दबाजी में आकर लोक अदालत प्रशासन गांवो के संग में केवल मात्र खाना पूर्ति हेतु आनन फानन से स्वीकार कर दिया गया। इसलिए उक्त विभाजन आदेश वर्तमान मौका व कब्जा काश्त के विपरित हुआ है। अतः अपीलाण्टगण की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.01.2013 को आशिंक निरस्त करने, अपीलाण्टगण व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 की आराजी का पुनः बटवाड़ा करने हेतु प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को रिमाण्ड का आदेश प्रदान फरमावे।

6. हमने अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा बिठुजा, हल्का पटवारी बिठुजा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 331 रकबा 01.05 बीघा, खसरा संख्या 332 रकबा 59.12 बीघा एवं खसरा संख्या 565 रकबा 59.12 बीघा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंट

जिला कलक्टर
बालोतरा

संख्या 1 ता 3 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.01.2013 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन क्रमांक/राजस्व/2013/03 दिनांक 22.01.2013 पारित किया गया। चूंकि पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में समस्त पक्षकारान के सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार पुनः बंटवाड़े हेतु रजामंद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट पचपदरा द्वारा विभाजन स्वीकृति क्रमांक/राजस्व/2013/03 दिनांक 22.01.2013 को अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए एव पक्षकारों को सुनकर पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा